भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2646
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट

†2646. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया सहित देश-वार चिन्हित किए गए अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट द्वारा भारतीय नागरिकों के विरूद्ध धोखाधड़ी से उगाही गई कुल राशि का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कितनी राशि वापस प्राप्त हुई है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों के विरूद्ध किए गए साइबर अपराधों के लिए गिरफ्तार गिरफ्तार/प्रत्यर्पित किए गए विदेशी नागरिकों की देश-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने साइबर अपराध सिंडिकेट के शीघ्र अभियोजन के लिए अन्य देशों के साथ कोई संधि/समझौता किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले में इस्तेमाल होने वाले परिसर हैं। हालांकि, विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) ने

भी अपनी रिपोर्ट शीर्षक "विभक्ति बिंदु: दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाला केंद्रों, भूमिगत बैंकिंग और अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस के वैश्विक निहितार्थ" में उल्लिखित किया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले में इस्तेमाल होने वालों परिसरों का प्रमुख सिंडिकेट कंबोडिया (विशेष रूप से कैसीनो- और सिहानौकविले, पोइपेट, बेवेट और कोह कोंग के आसपास विशेष आर्थिक ज़ोन से जुड़े क्षेत्र), म्यांमार (म्यावडी, श्वे कोक्को, कोकांग और मोंग ला के आसपास के सीमावर्ती और विशेष क्षेत्र) और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (बोकेओ प्रांत में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। विशिष्ट आँकड़े एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते है।

(घ) : भारत और म्यांमार ने मानव तस्करी का मुकाबला करने और सीमा पार और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए फरवरी 2020 में मानव तस्करी की रोकथाम; तस्करी के पीड़ितों के बचाव, रिकवरी, प्रत्यावर्तन और पुन: एकीकरण के लिए सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

साइबर अपराध जांच में सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए आई4सी, गृह मंत्रालय और होमलैंड सिक्योरिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) द्वारा 17 जनवरी 2025 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह प्रमुख आपराधिक जांच के दौरान सहयोग के समन्वय में मदद करता है, तकनीकी कौशल को बढ़ाता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर साइबर सक्षम खतरों के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

विदेश मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय साइबर संवाद करता है।

(ङ) केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट पर जागरूकता सहित साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए**,** जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली**,** जैसे डिजिटल गिरफ्तारी**,** निवेश घोटाला**,** मैलवेयर**,** फर्जी लोन ऐप**,** फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन**,** आदि शामिल थे।

2) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर गुलामी (स्लेवरी) पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ; टेलीविजन विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर बिलबोर्ड, विशेष पद बनाने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

3) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने 19 जुलाई 2025 से 52 सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

4) सरकार ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की जरूरत की स्तिथि में वॉक-इन साक्षात्कार, ईमेल, बहुभाषी 24**x**7 आपातकालीन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एमडीएडी, सीपीजीआरएएमएस जैसे शिकायत निवारण पोर्टलों, ई-माइग्रैट, और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से संबंधित मिशन/पोस्ट तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न चैनलों की स्थापना की है।

5) विदेश मंत्रालय समय-समय पर फर्जी नौकरी रैकेट के बारे में एड्वाइज़री और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करता है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मिशनों ने दक्षिण-पूर्व के देशों में फर्जी नौकरी रैकेट द्वारा भारतीय नागरिकों को लुभाए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर नौकरी चाहने वालों के लिए विभिन्न विस्तृत एड्वाइज़री जारी की हैं, और उन्हें सलाह दी है कि किसी भी प्रकार के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के सभी पूर्ववृत्तों को सत्यापित कर लें और इन देशों में धोखाधड़ी वाले नौकरी प्रस्तावों के लुभावों में न आयें और न ही इसमें फसें।

6) विदेश मंत्रालय, विदेश में स्थित भारतीय मिशनों/ पोस्टों तथा भारत में प्रवासियों के संरक्षकों के कार्यालयों के साथ समन्वय से अवैध एजेंटों द्वारा नौकरी चाहने वालों के शोषण के मामले सामने आने पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है।

7) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, आदि शामिल हैं।

*****